अब नपा और नप अध्यक्ष का चुनाव सीधे वोटर करेंगे

खास बातें

- विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा विधेयक
- कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 नवंबर. अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे वोटर करेंगे. अब चुने हुए पार्षदों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार अब पहले की व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है.

मंगलवार को कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. सदन में पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेजा जाएगा, राज्यपाल की हरी झंडी मिलते ही विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा और फिर कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा. अधिनियम बनने के बाद से ये तय हो जाएगा कि अगले नगरीय चुनान नए कानून के मुताबिक ही होंगे. यानी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदान से होगा और वोटर अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिये मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. अभी केवल महापौर के लिये ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू है.

यहां बता दें कि प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते थे, लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया था. इस कारण वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है.यहां बता दें कि प्रदेश में इस समय 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद कार्यरत है.

कटारा-बर्रई में स्टेडियम और कजलीखेड़ा में नया थाना बनेगा

भोपाल. राजधानी के लिये मंगलवार का दिन सौगातों भरा रहा. राजधानी को एक नहीं बल्कि आधा दर्जन बड़ी सौगातें मिली. हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा-बर्रई वार्ड नं. 85 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा. वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर यानी कोलार में 16 एकड़ भूमि पर नया दशहरा मैदान बनाया जाएगा, इतना ही नहीं कोलार में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कजलीखेड़ा में नया थाना भी बनेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा मुखर्जी नगर कोलार के बंजारी क्षेत्र में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गुंडे-बदमाशों पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर 7 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे.

8 और 9 को खजुराहो में रहेगी सरकार

भोपाल. मप्र सरकार 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में रहेगा. इन दो दिनों में जहां कैबिनेट की बैठक होगी, वहीं सभी विभाग सरकार की कसौटी पर परखे जाएंगे और उनका रिव्यू होगा. अगले माह सरकार 13 दिसंबर को सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. दो वर्ष पूरे होने से पहले सरकार अब आने वाले समय के लिये सरकार के रोडमैप पर विचार करने के साथ ही नये लक्ष्य भी तय करेगी और उन लक्ष्यों को हासिल करने का समय भी निर्धारित करेगी.

अमृत 2.0 प्रोजेक्ट से 7 लाख लोगो को फायदा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 29 करोड़ रुपए की लागत से कटारा-बर्रई में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिकतम शिक्षा सुविधा और संसाधन उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि आज 155 करोड़ रुपए की लागत से अमृत 2.0 परियोजना के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है. इसमें 700 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क, 171 एमएलडी के 9 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और 1 लाख 21 हजार घरेलू सीवेज कनेक्शन का संयोजन शामिल है.

2 करोड़ की धोखाधड़ी की फाइल दबाने का आरोप

इंदौर. जमीन के नाम पर दो करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले की जांच फाइल डीसीपी ऑफिस में अटक गई है. फरियादी का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी जानबूझकर फाइल रोककर अफसरों को गुमराह कर रहा है. मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई है, जिसमें जांच की जा रही है. शहर में दो करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. फरियादी ने आरोप लगाया है कि तुकोगंज थाना क्षेत्र से संबंधित इस मामले की जांच फाइल डीसीपी ऑफिस में पदस्थ एक पुलिसकर्मी द्वारा जानबूझकर दबाई जा रही है.

लापरवाही पर जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

नशे के काले कारोबार पर तत्काल कार्रवाई की मांग

ग्वालियर, 25 नवम्बर. ग्वालियर में एसआईआर के कार्यों में हो रही लापरवाही, रेत माफिया की बेलगाम मनमानी, यातायात अवरोधों से जन्मी दुर्घटनाओं के साथ-साथ अपराधी राज, गुंडागर्दी, लूट, हत्या, दुष्कर्म छेड़छाड़ तथा नशे के काले कारोबार पर तत्काल कार्रवाई की मांग.

शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस द्वारा जिलाधीश के नाम एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में एसआईआर पर हो रही लापरवाही से लाखों नागरिकों मतदान का हक छीनने का खतरा है, जो लोकतंत्र पर सीधी चोट है. रेत माफिया अवैध उत्खनन कर के कही भी रेत डंप कर देते है, अपनी ट्रॉली और ट्रैक्टर कही भी खड़ा कर देते हैं जिससे सड़कें जाम हो रही हैं और दुर्घटनाओं का सैलाब आ गया है. शहर में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं गुंडे राज कर रहे हैं, लूटपाट, हत्याएं, दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो गई हैं, जबकि नशे का जहर युवाओं की नसों में घुल रहा है. प्रशासन की आंखें बंद हैं, यह जनता के साथ विश्वासघात है.

नए श्रम संहिताओं की कांग्रेस ने की आलोचना

विशेष संवाददाता

भोपाल,25 नवम्बर. मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी डॉ. मुकेश नायक ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा 22 नवंबर 2025 से लागू की गई नई श्रम संहिताओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'श्रमिकों के कठिन संघर्षों से अर्जित अधिकारों पर सीधा हमला' बताया.

प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. नायक ने कहा कि 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर बनाई गई ये चारों संहिताएं 'Ease of Doing Business' के नाम पर लागू की गई हैं, जबकि वास्तव में ये श्रमिकों को असुरक्षा, अस्थिरता और शोषण के नए युग में धकेल देती हैं. उन्होंने कहा कि ये संहिताएं समानता, न्याय और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करती हैं. कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इन संहिताओं को तुरंत वापस लेने की मांग करती है. इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता—एमपीसीसी महासचिव अनुपमा आचार्य, प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, रवी सक्सेना और विक्रम चौधरी उपस्थित रहे. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अब कानून बन गई हैं.

> डॉ. नायक ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने अप्रैल 2021 से सभी चार संहिताओं को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 29 केंद्रीय श्रम कानून स्वत: समाप्त हो जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि नई संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करती हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वेतन संहिता की धारा 13 सरकार को न्यूनतम वेतन तय होने के बाद भी कार्य के घंटे निर्धारित करने का अधिकार देती है, जिसके चलते 'सामान्य कार्य दिवस' को 10 या 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है.

हरिफाटक पर बनेगा फोर लेन समानांतर ब्रिज

- उदयपुर की रवि इंफ्रा के नाम खुला टेंडर
- ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे भूमि पूजन

नवभारत न्यूज

उज्जैन. जैसे-जैसे सिंहस्थ का साल नजदीक आते जा रहा है वैसे-वैसे धार्मिक नगरी उज्जैन का कायाकल्प होता जा रहा है. निर्माण कार्य तेजी से धरातल पर उतरने लगे हैं, अब हरि फाटक ब्रिज के समानांतर एक और फोर लेन ब्रिज का टेंडर भी ओपन हो चुका है और एमपीआरडीसी के माध्यम से बनने वाले इस ब्रिज का निर्माण साइड रिक्त करने के बाद जल्दी शुरू होगा.

धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण टेंडर के तहत, हरिफाटक सड़क मार्ग को सिक्स लेन बनाने के साथ ही, अब इसी मार्ग पर एक नया फोरलेन समानांतर ब्रिज भी बनाया जाएगा. यह ठेका भी उदयपुर की उसी रवि इंफ्रा कंपनी को मिला है, जो उज्जैन इंदौर के बीच 45 किलोमीटर का सिक्स लेन सड़क का निर्माण कर रही है. जिसकी फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद कंपनी को जल्द ही कार्य शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है.

156 करोड़ का समानांतर फोरलेन

दरअसल हरिफाटक ब्रिज अभी टू लेन है, नया समानांतर फोरलेन ब्रिज लगभग 156 करोड़ की लागत से बनेगा. एमपीआरडीसी निर्माण एजेंसी है, जिसने टेंडर निकाला और रवि इंफ्रा, को यह काम मिल गया है. पुराना टू लेन और नया फोरलेन मिलाकर हरि फाटक ब्रिज सिक्स लाइन का हो जाएगा, जो की इंदौर से उज्जैन आने वाली सिक्स लेन सड़क से अटैज होगा.

सिक्स लेन कॉरिडोर को मिलेगा नया विस्तार-हरिफाटक मार्ग पर बनने वाला यह नया फोर लेन ब्रिज, हरिफाटक की पुरानी शाखा के ठीक समानांतर होगा. इस ब्रिज का निर्माण नीलगंगा हाट बाजार के ऊपर से किया जाएगा. पुराने और नए पुल के निर्माण के साथ ही, यह पूरा कॉरिडोर सिक्स लेन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे यातायात का दबाव कम करने में बड़ी मदद मिलेगी.

सीधे महाकाल मंदिर पहुंचेगा मार्ग-यह महत्वपूर्ण सिक्स लाइन सड़क और ब्रिज सीधे महाकाल महालोक तक यात्रियों की पहुंच को आसान बनाएगा. इस प्रोजेक्ट में ब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा, साथ ही रात में आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी.

सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण सौगात

यह ब्रिज सिंहस्थ 2028 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सौगात साबित होगा. सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालु, यात्री, साधु-संत आसानी से महाकाल मंदिर और क्षिप्रा के घाटों तक पहुंच सकेंगे. हरिफाटक क्षेत्र में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय रहवासियों को स्थायी मुक्ति मिलेगी.

जल्द होगा भूमि पूजन, विकास कार्यों में आएगी तेज़ी-प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महत्वपूर्ण फोर लेन ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे, जिला प्रशासन द्वारा इसकी तिथि तय की जाएगी.

इनका कहना है..सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से जितने भी भूमि पूजन के कार्य हैं, वह शीघ्रता से संपन्न होंगे, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लगातार उज्जैन प्रवास के दौरान भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में एक और अध्याय जुड़ने वाला है. एमपीआरडीसी के माध्यम से जो टेंडर डाले गए थे उसमें हरि फाटक टू लाइन ब्रिज के समानअंतर फोरलेन ब्रिज बनेगा, 156 करोड़ की लागत से निर्माण होगा,टेंडर ओपन हो चुका है.

- रोशन सिंह ,कलेक्टर उज्जैन

जस्टिस जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी को बनाया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन

ग्वालियर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सीजेआई पद की शपथ लेते ही एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 24 नवंबर को इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर दिया गया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी का नामांकन किया. न्यायमूर्ति माहेश्वरी, जो 2021 से सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, अब एससीएलएससी के प्रमुख होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पात्र वादियों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है.

लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन पद पर पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे, जिन्हें सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) देश में मुफ्त विधिक सहायता, लोक अदालतों के संचालन, कानूनी जागरुकता और वंचित वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने का सर्वोच्च निकाय है. जस्टिस माहेश्वरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट बेंच में काम कर रहे हैं. इससे पहले वह आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम कर चुके हैं.

जस्टिस माहेश्वरी राष्ट्रीय स्तर पर विधिक क्षेत्र में ग्वालियर चंबल अंचल को गौरवान्वित कर रहे हैं.

पेज एक का शेष

सचिव की अवैध संपत्ति राजसात

को अपना फैसला सुनाया.

न्यायालय ने पाया कि आरोपी पक्ष अपनी अर्जित संपत्तियों के वैध स्रोत प्रस्तुत करने में असफल रहा. इस आधार पर कोर्ट ने 71,73,739 मूल्य की चल-अचल संपत्ति को मध्यप्रदेश शासन के नाम राजसात करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर, अलीराजपुर को आदेश दिया कि वह संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण कर तत्काल शासन के आधिपत्य में ले. अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में कठोर कदम आवश्यक होते हैं. क्योंकि भ्रष्टाचार प्रशासनिक व्यवस्था को न केवल क्षति पहुँचाता है, बल्कि समाज में अविश्वास और आपराधिक प्रवृत्ति को भी जन्म देता है. यह फैसला प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर न्यायालय की सख्त दृष्टि को स्पष्ट करता है और लोकसेवकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर कोई संरक्षण संभव नहीं.

केंद्र और राज्यों को नोटिस

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों को संक्षेप में सुना. अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की सहायता एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नेहा राठी ने की. इसके बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए उनसे अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट सं. 59 और 60-23, 22वां क्रॉस, 29वां मेन, बीटीएम लेआउट स्टेज 2, बेंगलुरु-560076. www.vistaarfinance.com

कब्जा नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (VFSPL) द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकताओं ने विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपत्ति के बदले ऋण लिया है और अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (EMIs) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकताओं ने ऋण के लिए अचल संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने निम्नलिखित उधारकताओं के विरुद्ध निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act)। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि, ब्याज और अन्य शुल्कों सहित, यदि कोई हो, चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें।

क्र. सं.	खाता संख्या	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम	कुल बकाया	कुल बकाया ऋण आज तक
1	0103SBML03973	1. आसिफ मंसूरी, 2. अनवर खान मंसूरी 3. अंजुम बी	29,61,482/-	07.11.2025

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: आसिफ मंसूरी की संपत्ति खसरा संख्या 35/5/2, मकान संख्या 1/2, खजराना, - गाँव वार्ड संख्या 38, इंदौर इंदौर 452001, इंदौर, मध्य प्रदेश। पूर्व में: कनीज फातिमा का घर, उत्तर में: झालारिया रोड, पश्चिम में: पटवारी साहब का घर, दक्षिण में: रोड।

दिनांक: 26-11-2025
स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

गुरु तेगबहादुर साहिब जी का 350 साल शहीदी पर्व मनाया

दमोह. सिखों के नौवें गुरु तेगबहादुर साहिब जी का 350 साल शहीदी पर्व मंगलवार को बहुत ही मान सत्कार से दमोह के सिख समुदाय द्वारा मनाया गया. जिसमे प्रात: गुरुद्वारा साहिब में शबद कीर्तन व अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शाम को नगर कीर्तन (शोभायात्रा) का आयोजन किया गया. इंद्रजीत सिंह अरोरा ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिन्द की चादर थे उन्होंने देश व हिंदू धर्म की रक्षा के लिये अपनी शहादत दी.

आईएएस अधिकारी के आपत्तिजनक बयान पर कार्रवाई की मांग

भोपाल. मंत्रालय के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और कार्मिक सचिव एम. सेल्वेन्द्रन को ज्ञापन सौंपकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि 23 नवंबर को आयोजित अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में वर्मा ने सवर्ण समाज की बेटियों को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय बयान दिया था. मंत्रालय सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष वर्मा का बयान न केवल समाज की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि प्रशासनिक आचरण के मानकों का भी उल्लंघन है.

ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल तिवारी भी मौजूद रहे. मंत्रालय में कार्यरत सामान्य वर्ग के बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी इस विरोध में शामिल हुए. इस दौरान संगठन के पदाधिकारी आशीष सोनी, दयानंद उपाध्याय, सतीश शर्मा और श्याम बिहारी दुबे, सपाक्स के सचिव अमरेश गालर तथा अनेक महिला कर्मचारी भी मौजूद रहीं .उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने अपने कक्ष से बाहर आकर ज्ञापन लिया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कार्मिक सचिव एम. सेल्वेन्द्रन को भी ज्ञापन सौंपकर अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के तहत वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की.

अपमानजनक बयान वर्मा ने यह टिप्पणी एजेएकेएस प्रांतीय अधिवेशन के दौरान की

कांग्रेस ने आईएएस पर साधा निशाना

विशेष संवाददाता

भोपाल. कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मंगलवार को एजेएकेएस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान की कड़ी आलोचना की।

वर्मा ने यह टिप्पणी रविवार को अंबेडकर मैदान में आयोजित एजेएकेएस प्रांतीय अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान की थी। त्रिपाठी के अनुसार, वर्मा ने कहा था कि यदि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को उनके बेटे को दे दे या उससे संबंध बना ले, तो वह आरक्षण समाप्त कर देंगे। त्रिपाठी ने इस टिप्पणी को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज की बेटियां किसी संपत्ति की वस्तु नहीं हैं, बल्कि वे अपनी मेहनत और योग्यता से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वर्मा का यह बयान महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अत्यंत विकृत मानसिकता को दर्शाता है। त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया कि वर्मा पहले भी कई तरह की अनुशासनहीनता में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ कई जांचें लंबित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी को अपने बयान के लिए भविष्य में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

इधर, कांग्रेस के पूर्व महासचिव चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने भी वर्मा की टिप्पणी को मानसिक रूप से स्वस्थ न होने का संकेत बताते हुए कहा कि अधिकारी अन्य समुदायों, विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं।

दोनों नेताओं ने मांग की कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि इस प्रकार के बयान किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देते और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंस्पिरे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051, **पंजीकृत कार्यालय:** कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,** एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "SMHFC" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आप उधारकताओं (नीचे उल्लिखित नाम) से उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्द्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्जे की तिथि
1	लैन:- 601739211458113 1. मंसूर खान, 2. नसरीन बी	शिव शक्ति नगर, चिमनगंज मंडी, उज्जैन में स्थित मकान संख्या 02 का पूरा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल - 69.67 वर्ग मीटर पूर्व में गली, पश्चिम में कॉमन रोड गली उत्तर में नंबर 1 - श्री गेंदालाल का मकान, दक्षिण में - श्री नंदकिशोर और श्री पप्पू यादव का मकान	21.08.2025 रु. 30,29,513.65 (तीस लाख उनतीस हजार पाँच सौ तेरह और पैसठ पैसे) 12.08.2025 तक	20.11.2025

स्थान : उज्जैन, मध्य प्रदेश
दिनांक : 20.11.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**